भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3187

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>फास्ट ट्रेक निकास विधि</u>

3187. श्री अधीर रंजन चौधरी :
श्री गजानन कीर्तिकर :
कुँवर हरिवंश सिंह :
डा. सुनील बलीराम गायकबाड़ :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री सुधीर गुप्ता :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान देश में निष्क्रिय कंपियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और अपनी संपत्ति समाप्त कर चुकी उक्त कंपनियों के निवेशकों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान कंपनी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अपने तुलन-पत्रों, वार्षिक विवरणों और अन्य सांविधिक प्रकटनों को न भरने वाली ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कंपनी पंजीयक से अपने नाम हटाने हेतु उक्त में से कितनी कंपनियों ने फास्ट ट्रेक निकास विधि का प्रयोग किया है; और
(घ) कंपनी पंजीयक से ऐसी कंपनियों के नाम हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और ऐसी कंपनियों के निवेशकों के हितों को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है/सत्यापित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

*****